न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 22 दायर दिनांक : 31.01.2019

1. जगदीश राम
2. विनोद कुमार
3. देवेन्द्र कुमार

पुत्रगण नत्थूराम अकवाम सुथार निवासीयान गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम
2. कृष्णलाल उर्फ किशनाराम
3. लाधूराम

पुत्रगण हीराराम अकवाम सुथार निवासीयान गुडली तहसील सूरतगढ़

4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 20.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा हीराराम पुत्र कालूराम के नाम से वाके चक 7 बी. के.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 77/57 के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0, पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 1 ता 10 = 2.530 है0, कुल 3.795 है0 अनकमाण्ड, एवं चक 2 जी.एम. के पत्थर नं. 171/444 के किला नं. 23 ता 25 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 = 4.301 है0, पत्थर नं. 171/446 के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0, कुल 5.744 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो विरासतन वादीगण की दादी, वादीगण के पिता, व प्रतिवादीगण एवं उनकी बहिनों के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हुई जिनमें से वादीगण की दादी व भुआ द्वारा हकत्याग

क्रमशः ..... पेज 2 पर

करने पर उक्त रकबा इन्तकाल सं. 463 व 350 द्वारा प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों चकों में प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त भूमि में से वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम की 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा व हक जन्म से है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से अपने हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की तो प्रतिवादी सं. 1 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व बेचान करने की धमकी दी। मौका पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का तथा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का घरू बंटवारा अनुसार निम्नानुसार कब्जा काश्त है :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादीगण जगदीश वगैरह व प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम का वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/444 के किला नं. 23 ता 25 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 3 ता 5/0.759 है0, 6/0.170 है0, 7/0.170 है0, 8/0.170 है0 = 1.269 है0, कुल 1.953 है0 व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 1 ता 5 = 1.265 है0 भूमि, एवं प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल उर्फ किशनाराम का वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 16/0.032 है0, 17/0.032 है0, 18/0.032 है0, 19/0.032 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 1.140 है0, पत्थर नं. 171/446 के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0, कुल 1.899 है0 व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 6 ता 10 = 1.265 है0 भूमि तथा प्रतिवादी सं. 3 लाधूराम का वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 6/0.083 है0, 7/0.083 है0, 8/0.083 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 16/0.221 है0, 17/0.221 है0, 18/0.221 है0, 19/0.221 है0 = 1.892 है0, व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/57 के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण ने जैरवाद दोनों चकों के रकबा में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रकबा में से वादीगण को 3/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करते हुए, घोषित रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर, वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने एवं मुताबिक उक्त घरू बंटवारा अनुसार पक्षकारान का अलग खाता कायम करने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को

क्रमशः ..... पेज 3 पर

तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने जरिये अभिभाषक इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र मय सहमति पत्र राजीनामा घरू बंटवारा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जवाब आने के पश्चात् बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वाद के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 चक 7 बी.के.एम., जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 चक 2 जी.एम., इन्तकाल सं. 463 चक 7 बी.के.एम. व इन्तकाल सं. 350 चक 2 जी.एम. की प्रमाणित प्रतियों, व भूमि के बंटवारा हेतु सहमति–पत्र राजीनामा की असल प्रति का अवलोकन करवाते हुए जैरवाद चक 7 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ में कुल 3.795 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि, एवं चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ में कुल 5.744 है0 (5.668 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला) खातेदारी भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए, उक्त दोनों चकों के रकबा में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के रकबा में से वादीगण को 3/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करते हुए, घोषित रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर, वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने एवं मुताबिक उक्त घरू बंटवारा अनुसार पक्षकारान का अलग खाता कायम करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जैरवाद भूमि को पैतृक भूमि होना स्वीकार किया एवं वाद वादीगण स्वीकार कर, मुताबिक बंटवारा हेतु सहमति–पत्र राजीनामा पक्षकारान का अलग खाता कायम किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से पठन व मनन करने के पश्चात् पाया कि वादीगण ने वाद में वाके चक 7 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 77/57 के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0, पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 1 ता 10 = 2.530 है0, कुल 3.795 है0 अनकमाण्ड, एवं चक 2 जी.एम. के पत्थर नं. 171/444 के किला नं. 23 ता 25 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 = 4.301 है0, पत्थर नं. 171/446 के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0, कुल 5.744 है0

क्रमशः ..... पेज 4 पर

कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए उसमें अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण को 3/4 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर, इतना ही रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर, वादीगण के नाम दर्ज करने एवं मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का अलग खाता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा है जिसका प्रतिवादीगण ने भी कोई विरोध नहीं किया एवं जैरवाद भूमि को पैतृक भूमि होना स्वीकार किया तथा जरिये इकबालदावा वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जैरवाद भूमि के घरू बंटवारा की बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने सहमति पत्र राजीनामा घरू बंटवारा प्रस्तुत किया है। कब्जा की बाबत कोई विवाद नहीं है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने से राज्य हितों को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम अंकित वाके चक 7 बी.के. एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 77/57 (14) के किला नं. 21 ता 25 = 1. 265 है0, व पत्थर नं. 77/58 (17) के किला नं. 1 ता 10 = 2.530 है0, कुल 3.795 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि, एवं चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/444 (37) के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 (58) के किला नं. 3 ता 8/1.518 है0, 13 ता 19/1.771 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 4.301 है0, व पत्थर नं. 171/446 (65) के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0, कुल 5. 744 है0 (5.668 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला) खातेदारी भूमि, अर्थात उक्त दोनों चकों की कुल 9.539 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम के नाम अंकित 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि का वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी घोषणा के फलस्वरूप घोषित रकबा चक 7 बी.के.एम. व चक 2 जी.एम. की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तत्पश्चात् पक्षकारान के नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 5 पर

अंकित चक 7 बी.के.एम. की 3.795 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व चक 2 जी.एम. की कुल 5.744 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि का खाता विभाजन कर **वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम व प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार बहिस्सा बराबर** के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/444 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 3 ता 5/0.759 है0, 6/0.170 है0, 7/0.170 है0, 8/0.170 है0 = 1.269 है0, कुल 1.953 है0 कमाण्ड व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 1 ता 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि, एवं **प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल उर्फ किशनाराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार** के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 16/0.032 है0, 17/0.032 है0, 18/0.032 है0, 19/0.032 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 1.140 है0क0, पत्थर नं. 171/446 के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0 (0.683 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला), कुल 1.899 है0 (1.823 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला) व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 6 ता 10 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि तथा **प्रतिवादी सं. 3 लाधूराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार** के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 6/0.083 है0, 7/0.083 है0, 8/0.083 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 16/0.221 है0, 17/0.221 है0, 18/0.221 है0, 19/0.221 है0 = 1.892 है0 कमाण्ड, व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/57 के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि का राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। किसी पक्षकार की भूमि यदि रहन तो रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार के नाम के आगे अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम व प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. जगदीश राम
2. विनोद कुमार
3. देवेन्द्र कुमार

पुत्रगण नत्थूराम अकवाम सुथार निवासीयान गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम
2. कृष्णलाल उर्फ किशनाराम
3. लाधूराम

पुत्रगण हीराराम अकवाम सुथार निवासीयान गुडली तहसील सूरतगढ़

4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 22 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 श्री राजवीर भादू एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम अंकित वाके चक 7 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 77/57 (14) के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0, व पत्थर नं. 77/58 (17) के किला नं. 1 ता 10 = 2.530 है0, कुल 3.795 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि, एवं चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/444 (37) के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 (58) के किला नं. 3 ता 8/1.518 है0, 13 ता 19/1.771 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 4.301 है0, व पत्थर नं. 171/446 (65) के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0, कुल 5.744 है0 (5.668 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला) खातेदारी भूमि, अर्थात उक्त दोनों चकों की कुल 9.539 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम के नाम अंकित 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि का वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी घोषणा के फलस्वरूप घोषित रकबा चक 7 बी.के.एम. व चक 2 जी.एम. की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कलमजन कर वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तत्पश्चात् पक्षकारान के नाम अंकित चक 7 बी.के.एम. की 3.795 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व चक 2 जी.एम. की कुल 5.744 है0

क्रमशः ..... पेज 2 पर

कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि का खाता विभाजन कर वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम व प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार बहिस्सा बराबर के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/444 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 0.684 है0, पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 3 ता 5/0.759 है0, 6/0.170 है0, 7/0.170है0, 8/0.170 है0 = 1.269 है0, कुल 1.953 है0 कमाण्ड व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 1 ता 5 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि, एवं प्रतिवादी सं. 2 कृष्णलाल उर्फ किशनाराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 16/0.032 है0, 17/0.032 है0, 18/0.032 है0, 19/0.032 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 1.140 है0क0, पत्थर नं. 171/446 के किला नं. 2 ता 4 = 0.759 है0 (0.683 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला), कुल 1.899 है0 (1.823 है0 कमाण्ड व 0.076 है0 खाला) व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/58 के किला नं. 6 ता 10 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि तथा प्रतिवादी सं. 3 लाधूराम पुत्र हीराराम अकवाम सुथार नि. गुडली तहसील सूरतगढ़ खातेदार के नाम वाके चक 2 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 171/445 के किला नं. 6/0.083 है0, 7/0.083 है0, 8/0.083 है0, 13 ता 15/0.759 है0, 16/0.221 है0, 17/0.221 है0, 18/0.221 है0, 19/0.221 है0 = 1.892 है0 कमाण्ड, व चक 7 बी.के.एम. के पत्थर नं. 77/57 के किला नं. 21 ता 25 = 1.265 है0 अनकमाण्ड भूमि का राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग खाता कायम कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते हैं। किसी पक्षकार की भूमि यदि रहन तो रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार के नाम के आगे अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो दायित्व पूर्व में देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व वादीगण जगदीशराम, विनोदकुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नत्थूराम व प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम पुत्र हीराराम द्वारा बहिस्सा बराबर देय होंगे।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.12.2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़; उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 12:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: